रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1973 (कार्तिक 19, 1895)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1973 (KARTIKA 19, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	959
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1845
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1267
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2141
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3691
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	339
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5479
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	581
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	49
भाग III—खंड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1881
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	195
पूरक संख्या 45—	
3 नवम्बर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1429
13 अक्टूबर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े	1437

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	959
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1845
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1267
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories	2141
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3691
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	339
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5479
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	581
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1881
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	195
SUPPLEMENT NO 44	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 3 Nombar 1973	1429
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 13th October 1973	1437

भाग I खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by thd Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 नवम्बर 1973

संकल्प

सं० 27/8/73-स्था० (अनु० जा०)—भारत सरकार द्वारा सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों और सरकार के नियंत्रण के अधीन सरकारी उपक्रमों के अधीन सेवाओं/पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती के मामले में किए जा रहे कार्य की समीक्षा के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है, देखिए कार्मिक विभाग संकल्प सं० 27/9/70-स्था० (अनु० जा०) दिनांक 23 नवम्बर, 1970।

2. भारत सरकार ने समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें अब निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) प्रधान मंत्री, अध्यक्ष
(2) गृह मंत्री
(3) रक्षा मंत्री
(4) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री ।
(5) सचिव या अपर सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (यह इस बात पर निर्भर है कि इस विषय पर कौन कार्यवाही कर रहा है) ।
(6) सचिव, गृह मंत्रालय
(7) अपर सचिव तथा महानिदेशक, सरकार उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय ।
(8) महानिदेशक, पिछड़ी जातियां कल्याण, गृह मंत्रालय
(9) रोजगार कार्यालय निदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को स्थायी आमंत्रित व्यक्ति के रूप में समिति में सम्मिलित किया जाता रहेगा ।

पी० एस० महादेवन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 1973

नियम

सं० 6/35/73-के० से०-1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) का ग्रेड IV
(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड IV (सहायक)
(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड I
(iv) सशस्त्र सेनाएं मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड और
(v) भारत सरकार के अन्य विभागों/संगठनों और संबद्ध कार्यालयों में, जो भारतीय विदेश सेवा (बी०) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेनाएं मुख्यालय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, सहायकों के पद ।

कोई भी उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकता है । वह इन में से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किया जाना चाहता है, उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर सकता है ।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जिन सेवाओं/पदों के लिए वे चाहते हैं कि उनके सम्बन्ध में विचार किया जाए उनका वरीयता क्रम से स्पष्टतः उल्लेख करें । उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में सेवाओं/पदों के लिए जिस वरीयता क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया गया होगा उसमें रद्दोबदल के लिए किए गए किसी अनुरोध पर उस हालत में गौर नहीं किया जाएगा यदि ऐसा अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 30 नवम्बर, 1974 को या उस पूर्व न पहुंच गया हो ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित ढंग से ली जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

3. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए , या
(ख) सिक्किम की प्रजा, या
(ग) नैपाल की प्रजा, या
(घ) भूटान की प्रजा, या
(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका, कीनिया उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो ।

परन्तु ऊपर (ग), (घ), (ङ) और (च) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, भी परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अनन्तिम रूप में उसे नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण पत्र दे दिया जाए ।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दिव का निवासी न हो या पूर्वी अफ्रीका, कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) का प्रव्रजक न हो, उसे इस परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार बैठने दिया जाएगा । यह प्रतिबन्ध वर्ष 1962 की परीक्षा के समय से लागू है ।

टिप्पणी 1—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह एक ही बार में उक्त परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है ।

टिप्पणी 2—यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः एक ही विषय या अधिक विषयों की परीक्षा में ही बैठा हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है ।

5(क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1974 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की तो हो चुकी हो किन्तु पूरे 25 वर्ष की आयु न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1949 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1954 के बाद न हुआ हो ।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु—सीमा में निम्नलिखित मामलों में ढील दी जा सकेगी :—

(I) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(II) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(III) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(IV) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक,

(V) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(VI) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(VII) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(VIII) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(IX) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(X) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्ति-ग्रस्त क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(XI) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्ति-ग्रस्त क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(XII) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोआ दमन तथा दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(XIII) वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम-स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(XIV) वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान कार्यवाही में विक्लांग होने के परिणाम-स्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के हों, अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयुसीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती

6. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में दिये गये किसी विश्व-विद्यालय की डिग्री होनी चाहिये अथवा परिशिष्ट I क में उल्लिखित कोई अर्हता होनी चाहिये ।

टिप्पणी (1):—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी हालत में वह परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन कर सकता है । जो उम्मीद-वार इस प्रकार की अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाये, ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, तो इस परीक्षा में बैठने दिया जायगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जायगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरु होने की तारीख से अधिक से अधिक दो मास के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

टिप्पणी 2:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है ।

टिप्पणी 3:—ऐसे उम्मीदवार, जो अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों परन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विद्यालयों से डिग्रियां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट I में शामिल नहीं किया गया है, भी आयोग को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है ।

7. ऐसा कोई व्यक्ति:—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, सेवा में नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह सूत्र के अन्य पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियमों के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बंधन-से छूट दे सकती है ।

8. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को, जो पहले से ही सरकारी सेवा में हों चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी पद पर हो या अनियत अथवा दिहाड़ी पर रखे कर्मचारियों को छोड़कर, कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त हों, परीक्षा में प्रवेश के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगी ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन न कर सके । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की संभावना हो ।

10. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

13. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबंध 1 में निर्धारित फीस देनी होगी ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

15. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई हेर-फेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीको से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका

दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकने के साथ-साथ :—

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए:—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से आयोग रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी खाली जगहें आरक्षित की जाएंगी जितनी कि सरकार तय करे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित आदेशों में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है:—संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग (ग) राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग (ग) राज्य) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग (ग) राज्य) आदेश, 1951 जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है। संविधान (जम्मू वं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान दादरा और नगर हवेली अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नांगालैंड़) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

17. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप में दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा, और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जहगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हों, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवा/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (आवेदन-पत्र का स्तम्भ 26 देखिए)।

20. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा–अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

21. उम्मीदवार को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी यदि वे निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन वृद्धि पाने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मानकर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतन वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा।

22. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-II में संक्षेप में दी गई हैं।

पी० एल० गुप्ता, उप सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(देखिए नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय :

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के अधिनियम से निगमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थाएं, जिन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य, घोषित किया गया हो।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय,
मांडले विश्वविद्यालय ।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन मैन्चस्टर आक्सफोर्ड, रीडिंग शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेन्ट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैंड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी बैलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय ।

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय
राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट-1-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताएं
(देखिए नियम 6)

1—गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की अलंकार डिग्री ।

2—काशी विद्यापीठ, वाराणसी का "शास्त्री" ।

3—फ्रांसीसी परीक्षा "प्रापेदतीक" (Propedeutiqe) ।

4—उच्चतर ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् का ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

5—विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

6—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का वाणिज्य में डिप्लोमा ।

7—केन्द्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।

8—भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद, की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

9—श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी का "उच्चतर पाठ्यक्रम", यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टुडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

10—शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो अर्थात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, का वरिष्ठ शास्त्री ।

11—मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में सोवियत रूस के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षायें पास किए जाने पर ।

12—बैरूत के अमरीकन विश्वविद्यालय, बैरूत, लेबनान की कला स्नातक (बी०ए०) तथा विज्ञान स्नातक (बी० एस०—सी०) की उपाधियां ।

परिशिष्ट–ii

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे ।

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1—निबन्ध	100	2 घण्टे
2—सामान्य अंग्रेजी	200	3 घण्टे
3—अंकगणित	100	2 घण्टे
4—सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है	100	2 घण्टे

2—परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है ।

3—उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 3 या प्रश्न पत्र 4 अथवा तीनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्न पत्र 2 का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा ।

नोट 1 :—यह विकल्प पूरे प्रश्नपत्र के लिए होगा, उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं ।

नोट 2 :—उक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

एक बार लिया गया विकल्प अंतिम माना जायगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुदेश स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. खराब लिखाई के कारण लिखित विषयों के पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जायेंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तौल, और माप की मीट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है । प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक मुद्रा, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1—निबन्ध : दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा ।

2 — सामान्य अंग्रेजी :

(i) सार-लेखन और मसौदा लेखन :—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे । आम-तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (पैसेजज) दिये जायेंगे । उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें सामग्री का उमुचित उपयोग करते हुये पत्रों, ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जायगा ।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य भूलों के बारे में प्रश्न पूछे जायेंगे ।

(iii) शब्द-भेद (पार्ट्स आफ स्पीच), वाक्य–विश्लेषण वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट स्पीच) ।

नोट :—प्रश्नपत्र 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे ।

प्रश्न पत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है । वाक्य–विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जायगा ।

3 अंक गणित :

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आँकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों का पढ़ना और आँकड़ों का सारणी-करण ।

बुद्धिमत्ता, यथातथ्यता और काम को तेजी से करने की योग्यता की जाँच करने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे ।

टिप्पणी :—प्रश्न पत्र में जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाय तब तक उम्मीदवार प्रश्न पत्रों को सरल करने में बीजगणित की रीति का प्रयोग कर सकते हैं ।

4—सामान्य ज्ञान जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न पत्र में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी शिष अध्ययन के ही दे सकते हैं ।

परिशिष्ट III

उन सेवाओं पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है ।

1. (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

रु० चयन (सेलेक्शन) ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800 ।

(2) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 900-50-1250 ।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड-रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 ।

(4) सहायक ग्रेड : रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 ।

नोट 1.—जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाएगा ।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायेगा । इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

3. परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षा-धीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है ।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

5. सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।.

6. जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (ख) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्त का दावा नहीं कर सकेंगे ।

(ii) **भारतीय विदेश सेवा (ख)** :

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली एवं वाणिज्यिक दूतावासों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सम्मिलित हैं । ग्रेड 4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड I	मुख्यालय में अवर सचिव, विदेशों में स्थित मिशनों और पदों पर प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900-50-1250
एकीकृत ग्रेड II और III	मुख्यालयों में सहचारी (अताशी) और अनुभाग अधिकारी विदेशों में स्थित मिशनों और मुख्यालयों में उप-कांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900
ग्रेड-IV	मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित मिशनों और पदों पर सहायक।	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15 450-द० रो०-20-530

टिप्पणी:—एकीकृत ग्रेड-II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 400.00 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है ।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV (सहायक) के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जाएगा । फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अनुसार स्थायी किए जाएंगे, किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा । उम्मीदवारों की ग्रेड-IV में नियुक्ति सामान्य तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जाएगी । यदि विदेश सेवा में योग्य नहीं पाए जाने पर उन्हें अस्वीकार न किया गया हो। विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार को, एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जाएगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों । प्रशिक्षण के दौरान संतोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है ।

4. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किए जाने का अधिकार नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किया जाए, सेवा करने को बाध्य होंगे ।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सदस्य जब भारत में सेवारत हों, तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं । जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते है तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे : जैसे उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान के अनुसार विदेश भत्ता, निःशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है । ये रियायतें ऐसे सामान्य निर्णयों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापस ली जा सकती है , संशोधित की जाती है अथवा बढ़ाई जा सकती है ।

6. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति), नियमों 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों, विनियमों के अधीन होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाए ।

7. भारतीय विदेश सेवा के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-V में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

नोट :—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-I के अधिकारियों को भारतीय विदे सेवा (क) के वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए रु० 900-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है ।

(iii) **रेलवे बोर्ड सचिवालय** :

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती है, जो मोटेतौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

(i)	चयन ग्रेड—संयुक्त निदेशक/उप-सचिव रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं।	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800
(ii)	(क) उपनिदेशकों का ग्रेड उपनिदेशक रेलवे बोर्ड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किए जाते हैं।	रु० 900-50-1250 तथा साथ में विशेष वेतन 200 रु० मासिक।
	(ख) ग्रेड-I सहायक निदेशक और अवर सचिव	रु० 900-50-1250
(iii)	अनुभाग अधिकारी ग्रेड	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900
(iv)	सहायक ग्रेड	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों को नहीं हो सकता है।

(घ) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य संभालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-अंशदायी राज्य रेल भविष्य-निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे।

(छ) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा टिकट आदेश (पी०टी०ओ०) की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं।

(i) **सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा**

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे पांच ग्रेड हैं :—

(1) संयुक्त निदेशक (श्रेणी-I) रु० 1300-60-1600

(2) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-II) रु० 1100-50-1400।

(3) सिविलियन स्टाफ अफसर (श्रेणी-I) रु० 740-30-800-50-1150।

(4) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (श्रेणी-II राजपत्रित) रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-

(5) सहायक (श्रेणी-II-अराजपत्रित) रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530-।

नोट:—सहायक के ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400.00 रुपये का प्रारम्भिक वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा में रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में, उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गये सहायकों का सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है । तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी मुख्यालय या कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा ।

टिप्पणी:—ऊपर उल्लिखित सेवाओं/पदों के वेतनमान तथा सेवा की शर्तों को तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है ।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर 1973

सं० 4(1)/73-ई० पी० जैड—केन्द्रीय सरकार (1) श्री एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय (2) डा० ए० के० घोष, आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा (3) डा० एन० के० सेन गुप्ता, निदेशक, समवाय कार्य विभाग, विधि, न्याय तथा समवाय कार्य मंत्रालय को सान्ताक्रूज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग बोर्ड के सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० 16(2)/73-टी० ई० ए० पी०, दिनांक 20 जनवरी, 1973 में निम्नोक्त और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 11 के बाद निम्नोक्त जोड़ा जाए, अर्थात् :—

12. श्री एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य
13. डा० ए० के० घोष, आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय	सदस्य
14. डा० एन० के० सेन गुप्ता, निदेशक, समवाय कार्य विभाग, विधि, न्याय तथा समवाय कार्य मंत्रालय	सदस्य

एन० एस० वैद्यनाथन्,
निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० 21-8/71-एल० डी०-1—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भूतपूर्व खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 19-134/67-एल० डी०-1, दिनांक 14-10-1968 के अनुसार पुनर्गठित हुई दिल्ली दुग्ध योजना विषयक शासी निकाय के निम्नलिखित व्यक्ति भी सदस्य होंगे :—

1. श्री वी० सी० पांडे, विशेष सचिव, कृषि (विशेष योजना) राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. अध्यक्ष, उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बीकानेर ।
3. श्री रणजीत सिंह, सचिव प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
4. श्री दल सिंह जाट, अध्यक्ष, गुड़गाँव जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, ग्राम बंछारी, तहसील पलवल, जिला गुड़गाँव ।
5. चौधरी अजीत सिंह, ग्राम तथा डाकखाना महिपालपुर, दिल्ली ।
6. श्री मेहताब चन्द जैन, सदस्य, महानगर परिषद, दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति दिल्ली, प्रशासन, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक, महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, महापौर, दिल्ली नगर निगम, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका, अध्यक्ष दिल्ली दुग्ध योजना को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

दिनांक 6 नवम्बर 1973

संकल्प

सं० 45-1/73-सी० ए०-1—भारत सरकार ने निर्णय किया है कि उनके संकल्प संख्या 9-13/67 सी० सी०-1, तारीख 15 दिसम्बर, 1967 द्वारा गठित भारतीय लाख विकास परिषद् का तुरन्त पुनर्गठन किया जाए । पुनर्गठित परिषद् निम्न प्रकार होगी :—

1. **अध्यक्ष** : एक गैर-सरकारी व्यक्ति जिसे भारत सरकार नामजद करेगी ।

2. **उपाध्यक्ष :** अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।

3. **सदस्य :** केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(क) **राज्य :** निम्नलिखित राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि जोकि सम्बन्धित राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा नामजद किया जाएगा :

1. बिहार
2. मध्य प्रदेश
3. पश्चिम बंगाल
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा

(ख) **केन्द्रीय सरकार** (1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(3) कृषि आयोग, भारत सरकार

(4) निदेशक, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, पो० बा० मामकम, राँची (बिहार) ।

(5) संयुक्तायुक्त (विस्तार प्रशिक्षण) या विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में फार्म सूचना एकक के निदेशक ।

(6) अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात वृद्धि परिषद् ।

(ग) **उत्पादकों के प्रतिनिधि :** निम्नलिखित मुख्य लाख उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों के 6 प्रतिनिधि :

1. बिहार	2 प्रतिनिधि
2. मध्य प्रदेश	1 प्रतिनिधि
3. पश्चिम बंगाल	1 प्रतिनिधि
4. उड़ीसा	1 प्रतिनिधि
5. उत्तर प्रदेश	1 प्रतिनिधि

(घ) **व्यापार के प्रतिनिधि :** विभिन्न मान्यताप्राप्त वाणिज्य मण्डलों और अन्य व्यापार निकायों द्वारा सिफारिश किए हुए उम्मीदवारों में से परिषद् द्वारा नामजद किये जाने पर व्यापार के तीन प्रतिनिधि ।

(ङ) **उद्योग के प्रतिनिधि :** उद्योग के तीन प्रतिनिधि ।

(च) **अन्य** तीन संसद् सदस्य जिन्हें संसद् कार्य-विभाग नामजद करेगा ।

(छ) भारत सरकार द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों को उनके हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए समय-समय पर नामजद किया जाएगा जिन्हें पहले परिषद् में प्रतिनिधित्व न मिला हो ।

4. **सदस्य सचिव** निदेशक लाख विकास निदेशालय कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग),
राँची ।

5. **प्रेक्षक :** (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु उन्हें परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता के लिए निरन्तर रूप से आमंत्रित किया जाएगा ।)

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उसका प्रतिनिधि ।
2. कृषि विपणन सलाहकार—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)
3. कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के प्रत्यापित संयुक्त सचिव (वित्त) ।
4. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)
5. बिहार राज्य लाख सहकारी विपणन संघ, लिमिटेड राँची ।
6. संयुक्तायुक्त (निर्यात वर्धन)—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
7. सचिव, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, सी०-56, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली या उसका नामित ।
8. संयुक्तायुक्त (सी० सी०) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
9. उप सचिव (फसल) कृषि विभाग ।

2. **कार्य :** परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे ।

1. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए हुए विकास कार्यक्रम पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना और प्रगति को तेज करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
2. जिन्सों के विपणन, परिसंस्करण भंडारण और उनके व्यापार और मूल्यों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच पड़ताल करना और इस विषय में सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण योगदान देना ।
3. कार्यक्रम तैयार करने और मण्डी में बढ़िया किस्म की जिन्स की आवश्यकता के बारे में

अनुसंधान एजेंसियों को सलाह देकर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना;

4. निर्यात मण्डी की आवश्यकताओं पर विचार करना और उसके अनुरूप विकास कार्यक्रम समंजित करना, और

5. जिन्स के विकास सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए ऐसे अन्य काम करना जो इसे समय-समय पर सौंपे जायें ।

3. भारतीय लाख विकास परिषद को अधिकार होगा कि वह विशेष महत्व के मामलों पर विचार करने और आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों आदि में विशेष दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों को सहयोजित करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है ।

4. लाख उगाने वाले क्षेत्रों तथा व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में परिषद की समय-समय पर बैठकें होंगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् की कार्यावधि 31-12-1976 तक होगी । परन्तु संसद सदस्यों की संसद् सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी । भारत सरकार आवश्यतानुसार परिषद् की कार्यावधि बढ़ा या कम कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 7 नवम्बर 1973

संकल्प

सं० 60-1/73-सी० ए०-1—भारत सरकार ने संकल्प सं० 1-22/67-सी० सी०-1 दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के अनुसार स्थापित भारतीय मसाला विकास परिषद् को तत्काल पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. **अध्यक्ष :** एक गैर सरकारी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा ।

2. **उपाध्यक्ष :** कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में भारत सरकार के अपर सचिव ।

3. **सदस्य :** केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(क) **राज्य :** निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

(1) केरल
(2) मैसूर
(3) असम
(4) महाराष्ट्र
(5) पश्चिम बंगाल
(6) आंध्र प्रदेश
(7) उड़ीसा
(8) तमिलनाडु
(9) मेघालय

(ख) **केन्द्रीय सरकार :**

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
(2) वाणिज्य मंत्रालय का कृषि आयुक्त
(3) भारत सरकार का कृषि आयुक्त
(4) अध्यक्ष, मसाला, निर्यात संवर्धन परिषद्
(5) परियोजना समन्वयक (मसाला तथा काजू) केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुडलु कसरगोड, केरल ।
(6) विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त आयुक्त (विस्तार प्रशिक्षण) अथवा उसकी जगह निदेशक, फार्म सूचना एकक ।

(ग) **उत्पादकों के प्रतिनिधि :** प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उत्पादकों के 10 प्रतिनिधि नामजद किये जायेंगे जो निम्न प्रकार होंगे :—

(1)	केरल	एक प्रतिनिधि
(2)	मैसूर	एक प्रतिनिधि
(3)	महाराष्ट्र	एक प्रतिनिधि
(4)	पश्चिम बंगाल	एक प्रतिनिधि
(5)	तमिल नाडु	एक प्रतिनिधि
(6)	आंध्र प्रदेश	एक प्रतिनिधि
(7)	उड़ीसा	एक प्रतिनिधि
(8)	बिहार	एक प्रतिनिधि
(9)	मध्य प्रदेश	एक प्रतिनिधि
(10)	हिमाचल प्रदेश	एक प्रतिनिधि
(11)	मेघालय	एक प्रतिनिधि

(घ) **व्यापार के प्रतिनिधि :** विभिन्न मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडलों तथा अन्य व्यापारिक निकायों द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों में से परिषद् में व्यापारियों के तीन प्रतिनिधि नामजद किये जाने हैं।

(ङ) **उद्योग के प्रतिनिधि :** उद्योग के तीन प्रतिनिधि।

(च) **अन्य** संसद के तीन सदस्य।

(छ) परिषद् में जिन व्यक्तियों के हितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, उन्हें प्रतिनिधित्व के देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे अन्य सदस्य नामजद किये जायेंगे।

4. **सदस्य सचिव** निदेशक, सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), कालीकट।

5. **प्रेक्षक** (जोकि परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन परिषद् के विचार-विमर्श में सहायता प्रदान करने के लिए अवश्य आमंत्रित किये जायेंगे।)

1. (1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उनका प्रतिनिधि।

(2) कृषि विपणन सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली को प्रत्यायित संयुक्त सचिव (वित्त)।

(4) अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(5) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रोद्यौगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर।

(6) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।

(7) एन० ए० एफ० ई० डी० का एक प्रतिनिधि।

(8) संयुक्त आयुक्त (निर्यात संवर्धन), कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)।

(9) संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल) कृषि विभाग।

(10) उप सचिव (फसल), कृषि विभाग।

(11) निदेशक (बागवानी), कृषि विभाग।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और उसके कार्य इस प्रकार होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रम पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और प्रगति को तेज करने के लिए उपाय सुझाना;

(2) जिन्सों के विपणन, परिसंस्करण, भंडारण, परिवहन, तथा उनके व्यापार एवं मूल्य से सम्बन्धित समस्याओं की जांच-पड़ताल करने में गतिशील भूमिका अदा करना और इसके सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना;

(3) कार्यक्रम तैयार करके अनुसंधान तथा विकास के बीच समुचित समन्वय स्थापित करना और अनुसंधान एजेन्सियों को उस जिन्स की बाजार की क्वालिटी की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सलाह देना;

(4) निर्यात मण्डी की आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उनके अनुरूप विकास कार्यक्रमों को समायोजित करना; और

(5) जिन्स के विकास सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिये ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

3. भारतीय मसाला विकास परिषद् को अधिकार होगा कि वे विशेष महत्व के मामलों पर विचार करने तथा जहां आवश्यक हो सदस्यों को सहयोजित करने (जैसे कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों) के लिए आवश्यकतानुसार स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है।

4. परिषद् की बैठकें समय-समय पर मसाला उत्पादक क्षेत्रों में व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और यह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।

5. परिषद् की अवधि 31-12-1976 तक होगी। परन्तु संसद् सदस्यों की सदस्यता की अवधि समाप्त होते ही उनकी परिषद् की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी। भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर परिषद् की अवधि घटा या बढ़ा सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकलन को सर्व-साधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० सी० कपूर,
अपर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 1973

सं० एफ० 15-8/72-एल० 2—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय केन्द्रीय भाषा-संस्थान (श्रेणी-3 और श्रेणी-4 पदों के) भर्ती नियम, 1970 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान (श्रेणी 3 और श्रेणी-4 पदों के) भर्ती नियम, 1973 कहा जाएगा ।

(2) उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू समझा जायेगा ।

2. भारतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान (श्रेणी-3 और श्रेणी-4 पदों के) भर्ती नियम, 1970 की अधिसूची में "कार्यालय अधीक्षक" के पद से संबंधित कालम 10 और 11 की प्रविष्ठियों के लिये क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्ठियों को पढ़ा जायेगा, अर्थात् :—

कालम 10 : पदोन्नति द्वारा—अन्यथा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

कालम 11 : प्रवर श्रेणी लिपिकों का उसी ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा सहित पदोन्नति द्वारा अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों से उसी ग्रेड में कम-से-कम आठ वर्ष की सेवा और सरकार में 15 वर्ष की सेवा सहित प्रवर श्रेणी लिपिकों का स्थानान्तरण द्वारा या उनकी प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।

एस० एस० भट्टाचार्य
सहायक शिक्षा सलाहकार

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० एफ० 1-46/69-एस० डब्ल्यू० 3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प संख्या एफ० 1-46/69-एस० डब्ल्यू० 3 दिनांक 7 सितम्बर, 73 जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के कार्यालय, अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्य काल 31 अक्तूबर, 1973 तक तथा समेत बढ़ा दिया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार सहर्ष यह निर्णय करती है कि कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उपबंधों के अधीन बोर्ड के अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष साधारण निकाय के सदस्यो तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यभार 1 नवम्बर, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक तथा समेत दो मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाये :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मन्त्रीमंडल सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय ।
8. पत्र सूचना कार्यालय ।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, नई दिल्ली ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० सत्यम, उप-सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 1973

शुद्धि-पत्र

सं० एफ० 15-25/72-एल० 1—संस्कृति विभाग के समसंख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 21 फरवरी, 1973, 6 जुलाई, 1973, 26 सितम्बर, 1973 द्वारा संशोधित संस्कृति विभाग के संकल्प संख्या एफ० 15-25/72-एल० 1 दिनांक 5 मई, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है :—

पैरा 3 (1) क्रम संख्या 15

निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित जोड़ा जाए
श्री कान्ति चौधुरी संयुक्त सचिव, (भाषा) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग । (सदस्य सचिव)	श्री शाहिद अलीखान, संयुक्त सचिव (भाषा) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग । (सदस्य सचिव)

(2) क्रम संख्या 16 के बाद निम्नलिखित जोड़ें

श्री कान्ति चौधुरी,
99, लोधी एस्टेट,
नई दिल्ली ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प के शुद्धिपत्र की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी कुलपतियों, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और सभी राज्य सरकारों, मंत्रालयों तथा भारत सरकार के विभागों को प्रेषित की जाएं ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प के शुद्धिपत्र को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सनत्कुमार चतुर्वेदी, उप सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० बाढ़ नियंत्रण 26(1)/73—इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० पांच 516(4)/64 दिनांक 27-7-1965 में जिसके द्वारा रेलवे पुलों के नीचे बहते हुए जल मार्गों की व्यवस्था की लागत के मामले पर राज्य सरकारों तथा रेल मंत्रालय के बीच विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था, वर्तमान पैरा 4 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापना की जाए :—

"4. जब भी राज्य सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो संबंधित मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय रेलवे या राज्य का मुख्य अभियंता रेलवे अथवा राज्य के विचारों को अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति संबंधित रेलवे अथवा राज्य के प्राधिकारी को भेजी जाएगी । तब मामले पर विचार करने के लिए एक बैठक करेंगे । समिति का निर्णय अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, मुख्य अभियंता, रेलवे तथा संबंधित राज्य के विचारों के आधार पर लिया जाएगा । यदि कोई बहुमत-निर्णय संभव नहीं होता तो अध्यक्ष के निर्णय को समिति का निर्णय समझा जाएगा । इस प्रकार लिये गये निर्णय को मानने के लिये रेलवे तथा राज्य सरकार बाध्य होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति निजी सचिव तथा सेना सचिव संसद् कार्य विभाग, राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापाल को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए तथा राज्य सरकारों से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिये आग्रह किया जाए ।

बी० एस० बंसल, सयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अक्तूबर 1973

संकल्प

सं० ई-11011/25/73-प्रशासन-1—भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11011/1/71-प्रशासन-1, तारीख 6 दिसम्बर, 1971 के द्वारा पुनर्गठित सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति का सदस्य नियुक्त किया है:—

1. डा० एम० मलिक मोहम्मद (पद्मश्री),
प्रोफेसर तथा हिन्दी विभागाध्यक्ष,
कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट विश्वविद्यालय पोस्ट आफिस (केरल) ।

2. प्रोफेसर राम कुवाल सिंह,
रीडर (हिन्दी)
बी० एन० कालेज, पटना विश्वविद्यालय,
पटना-4 ।

3. श्री एस० सारंगपाणी,
महामंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,
मद्रास-17 ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० घोष, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi-1, the 31st October, 1973

CORRIGENDUM

No. 20/1/73-AIS(I)—In the Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 20/1/73-AIS(I), dated the 10th March, 1973, published in Part I Section 1 of the Gazette of India of the 10th March, 1973, the following changes may be effected :—

Reference	For	Read
1. Page 306, Col. 1, date of Notification	10th March 1972	10th March 1973
2. Page 307, Col. 1, rule 7(b)(ii), Line 9.	get	got
3. Page 308, Col. 1, rule 9, in the cage, item 2	Service	Services
4. Page 308, Col. 1, rule 15, line 5.	information	information
APPENDIX I-A		
5. Page 309, Col. 2, para 12, line 2.	B. Sc.	B. S.
APPENDIX II, SECTION II		
6. Page 310, Col. 1, item 12 in the cage below (b) "optional subjects", line 2.	Snaskrit	Sanskrit
SCHEDULE PART B		
7. Page 311, Col. 2 (1) Algebra, line 7	Lagranges	Lagramge's
8. Page 311, Col. 2, sub para 2 of (1) Algebra line 2.	Divisions	Divisors
9. Page 312, Col. 1, (7) Differential Equations, line 4.	(v.y)	(x.y)
10. Page 312, Col. 1, 2, Applied Mathematics (2), line 1.	States	Statics."
11. Page 312, Col. 2, Sub-para 2 of III Sampling distribution and Statistical inference, line 2.	T	
12. Page 312, Col. 2, sub-para 3 of III Sampling distribution and statistical inference lines 3 and 4.	unbised	unbiased
13. Page 312, Col. 2, IV Sampling techniques, heading.	Simple	Sampling.
14. Page 313, Col. 1, Electricity and magnetism, line 7.	Requirments	measurement
15. Page 313, Col. 1,Organic Chemistry, line 8.	(general ideas)	(general idea)
16. Page 313, Col. 1, Aromatic, line 6.	Pyrroletry ridine	Pyrrole pyridine
17. Page 315, Col. 1, 24, Applied Mechanics; sub-para 6 below BUILDINGS, line 1.	Presures	Pressures
18. Page 316, Col. 1, (3) Functions of a complex variable, line 5.	Liourille's	Liouville's
19. Page 317, Col. 2, 8, English Literature, line 5.	Show	Shaw
20. Page 318, Col. 2, 10(a) Advanced Economics, sub-para 7, line 2.	Defict	Deficit
APPENDIX-III		
21. Page 321, Col. 1, 2, Indian Foreign Service, (c), line 1.	of	or
22. Page 322, Col. 2, Sub-para 3 of 5(c) line 3.	filed	filled
23. Page 323, Col. 2, Indian Customs and Central Excise Service , Time Scale, against last but one line	Rs. 1,800-100-200-125-2,250	Rs. 1,800-100-2,000-125-2,250
24. Page 323, Col. 2 Indian Customs and Central Excise Service , (c), line 6.	an	as
25. Page 324, Col. 1, Indian Defence Accounts Service, Time Scale , line 2.	1,1200	1,200
26. Page 324, Col. 2, 10(b) line 8.	'end-o-the Course -test'	'end-of-the Course-test
27. Page 325, Col. 1, 10(b) line 13.	Genera	General
28. Page 326, Col. 2, 13(f), line 6.	Secosd	Second
29. Page 326, Col. 2; 13(k) line 1.	undertaken	undertake
30. Page 328, Col. 1, 15(b), sub-para 2.	period	Peried
31. Page 33, Col. 1., 19(d), last line.	Administration/ Government.	Administration
32. Page 330, Col. 2, 20(f), line 1.	Pondicherry	Goa, Daman and Diu.
33. Page 330, Col. 2, 21(b), line 1, word No. 9	of	Or
34. Page 331, Col. 1, 21(f), line 3.	Administratior	Administrator
35. Page 332, Col. 1, (g) Colour vision, sub-para 2, line 1.	granded	graded
36. Page 332, Col. 2, N. B. below 7 Blood Pressure, line 4.	fitsess of	fitness or
37. Page 332, Col. 2, Para 8, line 2.	when	Where
38. Page 332, Col. 2, Para 8 line 16.	fit'	"fit"
39. Page 333, Col. 1, 10(a), item 3(i) line 8.	Ea	Ear
40. Page 334, Col. 2, Item 6, last item in the cage.	deat	death
41. Page 335, Col. 2, Item 15(ii)	ii)	(ii)
42. Page 307, Col. 2, rule 7 (c) (vi), line 3	The word 'from' may be added after the word 'origin'.	
43. Page 307, Col. 2, rule 7 (c) (viii), line 2.	The word 'and' may be added after the word 'Burma'	

Reference	For	Read
44. Page 308, Col. 1, Rule 9, in the cage, below line 2.		The figures (i), (ii), (iii) may be added as sub-cols.
45. Page 308, Col. 2, in the cage below 2nd proviso to rule 19, line 3.		The figures (i), (ii), (iii), may be added as sub-cols.
46. Page 312, Col. 1, (6) Analysis, line 1.		The sign of coma may be added after the word Derivation.
47. Page 312, Col. 1, 2, Applied mathematics, sub-para 2 of statics, line 2.		The sign of Coma be added after the word 'discs.'
48. Page 312, Col. 2 III Sampling distribution and Statistical inference, sub-para 4, line 2.		The word 'methods' may be added after the word 'moments'.
49. Page 312, Col. 2, III Sampling distribution and statistical inference, sub-para 7, line 1		The word' 'mean' may be added after the word 'involving'
50. Page 322, Col. 2, 5(d) (ii), line 7		The word 'as' may be added after the word 'such'.
51. Page 327, Col. 2 last para of Note 1 below 14(i).		The word 'one' may be added after the word 'by'.
52. Page 330, Col. 1, 19(d),		The word 'to' may be added after the word 'required'.
53. Page 330, Col. 2, 20(f), line 2.		The word 'as' may be added after the word 'regulations'
54. Page 330, Col. 2, 21(b), line 1.		The word 'the' may be added before the word 'administrator'.
55. Page 332, Col. 2, Para 8, line 4.		The word 'in' may be omitted.
56. Page 334, Col. 1, sub-para 3 of para 1 below MEDICAL BOARD'S REPORT, line 8.		The word 'of' may be added after the word 'likelihood'.

V. RANGANATHAN, Under Secy.

New Delhi, the 8th November 1973

RESOLUTION

No. 27/8/73-Est(SCT).—A High Power Committee under the Chairmanship of the Prime Minister has been constituted by the Government of India to review the performance in the matter of recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services/posts in or under the Government, Union Territories and public undertakings under the control of the Government, *vide* Department of Personnel Resolution No. 27/9/70-Est (SCT), dated the 23rd November, 1970.

2. The Government of India have decided to reconstitute the Committee, which would now consist of the following members :—

(1) Prime Minister, Chairman,

(2) Minister of Home Affairs.

(3) Minister of Defence.

(4) Minister of State in the Department of Personnel and Administrative Reforms.

(5) Secretary or Additional Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms. (depending on who is dealing with the subject)

(6) Secretary, Ministry of Home Affairs.

(7) Additional Secretary and Director General, Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance.

(8) Director General, Backward Classes Welfare, M.H.A.

(9) Director of Employment Exchanges, Directorate General of Employment & Training.

The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would continue to be associated with the Committee as a permanent invitee.

P. S. MAHADEVAN, Jt. Secy.

New Delhi, the 17th November 1973

RULES

No. 6/35/73-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1974 for the purpose filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Grade IV (Assistants) of the Railway Board Secretariat Service.

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service; and

(v) Posts of Assistant in other departments/Organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S.(B)/ Railway Board Secretariat Service/Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

A candidate may compete in respect of any one of more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 30th November 1974.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India or

(b) a subject of Sikkim or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject or Bhutan or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

Note.1.—For the purpose of this rule, a candidate shall deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

Note 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st January, 1974 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1949 and not later than 1st January, 1954.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years of a candidate is a *bona fide* displaced person, from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971.

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondichery and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar),

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(xiii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xvi) up to maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination, such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not

later than two months after the commencement of this examination.

Note II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note III.—Candidate who are otherwise eligible but who have taken degree from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period
(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and
(ii) by the Central Government from employment under them.
(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) Uttar Pradesh Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination;

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, (*cf.* col. 26 of the application form).

20. Appointments will be made on probation for period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

21. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed periods they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from

this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

22. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, and the Armed Forces Headquarters Civil Service, are briefly stated in Appendix III.

P. L. GUPTA, Dy. Secy.

APPENDIX I

LIST OF UNIVERSITIES APPROVED BY THE GOVERNMENT OF INDIA

(*Vide* Rule 6)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Scheffield and Wales.

Scotish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glassgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Ireland. The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The University of Sind.

Universities in Bangladesh

The Dacca University.

The Rajshahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

LIST OF QUALIFICATIONS RECOGNISED FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION

(*Vide* Rule 6)

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, *i.e.*, Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswa Vidyalaya, Varanasi.
11. Diploma in the field of Humanities and Natural Science attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.
12. Bachelor of Arts (B.A.) and the Bachelor of Science (B.S.) degrees awarded by the American University of Beirut, Beirut, Lebanon.

APPENDIX II

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

		Max. Marks.	Time Allowed
1.	Essay	100	2 hrs.
2.	General English	200	3 hrs
3.	Artithmetic	100	2 hrs.
4.	General Knowledge including Geography of India	100	2 hrs.

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 3 or Paper 4 or all the three papers either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 must be answered in English by all candidates.

Note 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

Note 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Col. 8 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the paper(s) in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question paper, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay* : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) *General English* :

(i) Precis writing and draftings. Questions to test their understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary for precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

Note.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangements, general expression and workmanlike use of the language.

(3) *Arithmetic* :

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The question will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

Note.—Candidates may also use algebraic method for solving questions, unless it is specified otherwise in the question paper.

(4) *General knowledge including Geography of India* : Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX—III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) *Central Secretariat Service.*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent : Rs. 1100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent): Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants Grade : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Note.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a Minimum pay of Rs. 400 p.m.

2. Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

5. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

6. Persons appointed to the Assistants' Grade of Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs.900-50-1250
Integrated Grade II and III.	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-consuls and Registrars in Mission and posts abroad.	Rs. 350-25-500-30-590- EB-30-800-EB-30-830-35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and posts abroad	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-E B-20-530.

Note.—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS (B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order or ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S. (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions, contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

Note.—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900—50—1000—60—16000—50—1800.

(iii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The Service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, Promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :—

(i) Selection Grade : such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.

(ii) (a) Dy. Directors Grade : such posts of Dy. Directors, Railway Board as may from time to time be held by Officers of the Railway Board Secretariat Service Rs. 900—50—1250 plus special pay of Rs. 200/- p.m.
(b) Grade I : Assistant Directors, Under Secretaries Rs. 900—50—1250.

(iii) Section Officers Grade Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iv) Assistants Grade Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secrtariat Service.

(d) Officers recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service.*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present five grades as follows :—

(1) Joint Director (Class I) : Rs. 1,300—60—1,600.

(2) Senior Civilian Staff Officer (Class I) : Rs. 1,100—50—1,400.

(3) Civilian Staff Officer (Class I) : Rs. 740—30—800—50—1,150.

(4) Assistant Civilian Staff Officer (Class II-Gazetted) : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800,

(5) Assistant (Class II-Non-gazetted) : Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Note.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that service.

Note.—The pay scales and service conditions of the Services/posts referred to above are subject to revision in the light of decisions of Central Government on the recommendations of the Third Central Pay Commission.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 31st October 1973

No. 4(1)/73-EPZ.—The Central Government hereby appoints (1) Shri S. M. Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industry, (2) Dr. A. K. Ghosh, Economic Adviser, Ministry of Industrial Development, and (3) Dr. N. K. Sen Gupta, Director, Department of Company Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, as membes of the Santa Cruz Export Processing Zone Board and makes the following further amendments in the Government of India, Ministry of Foreign Trade Notification No. 16(2)/73-TAEP dated the 20th January, 1973, namely :—

In the said notification, after serial number 11, the following shall be added, namely :—

"12. Shri S. M. Ghosh,
Joint Secretary,
Ministry of Heavy Industry — Member

13. Dr. A. K. Ghosh,
Economic Adviser,
Ministry of Industrial Development — Member

14. Dr. N. K. Sen Gupta,
Director,
Department of Company Affairs,
Ministry of Law, Justice & Company Affairs." — Member

N. S. VAIDYANATHAN,
Director.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

New Delhi, the 31st October 1973

RESOLUTION

No. 21-8/71-LD.I.—The Government of India have decided that the following shall also be the members of the Governing Body for Delhi Milk Scheme as reconstituted in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Department of Agriculture) Resolution No. 19-134/67-DD/LD.I dated 14-10-1968 :—

1. Shri K. C. Pande, Special Secretary, Agriculture, (Special Schemes) Government of Rajasthan, Jaipur.
2. Chairman, Uttar Rajasthan Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd., Bikaner.
3. Shri Ranjit Singh Sachiv, Pradeshik Cooperative Diary Federation Ltd., Lucknow.
4. Shri Dal Singh Jat, President, Gurgaon District Milk Producers Cooperative Union, Village Banchari, Tehsil Palwal, District Gurgaon.
5. Chaudhury Ajit Singh, Village & Post Office Mahipalpur, Delhi.
6. Shri Mehtab Chand Jain, Member, Metropolitan Council, Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Delhi Administration, All Ministries/Departments, of the Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues, the Indian Council of Agricultural Research, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the Chairman, Delhi Milk Scheme.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for General information.

The 6th November 1973

RESOLUTION

No. 45-1/73-CAI.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Lac Development Council set up vide their Resolution No. 9-13/67-C.C.I. dated the 15th December, 1957. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture.

III. MEMBERS

REPRESENTATIVES OF THE CENTRAL & STATE GOVERNMENTS.

(A) STATES

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Government :

(i) Bihar
(ii) Madhya Pradesh
(iii) West Bengal
(iv) Maharashtra
(v) Orissa.

(B) CENTRAL GOVERNMENT

(i) One representative of the Planning Commission.
(ii) One representative of the Ministry of Commerce.
(iii) Agricultural Commission with the Government of India.
(iv) Director, Indian Lac Research Institute, P.O. Nambum, *Ranchi*, (Bihar).
(v) Joint Commissioner (Extension Training) or alternatively Director, Farm Information Unit as representative of the Directorate of Extension.
(vi) Chairman, Shellac Export Promotion Council.

(C) GROWERS REPRESENTATIVES

Six Growers representatives to be nominated by the respective State Government from the major Lac growing States as follows :—

(i) Bihar—Two representatives
(ii) Madhya Pradesh—One representative
(iii) West Bengal—One representative
(iv) Orissa—One representative
(v) Uttar Pradesh—One representative.

(D) REPRESENTATIVES OF TRADE

Three representatives of Trade, to be nominated on the Council out of the candidates recommended by various recognised Chambers of Commerce and other Trade bodies.

(E) REPRESENTATIVES OF THE INDUSTRY

Three representatives of Industry.

(F) OTHERS

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(G) Such additional persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.

IV. MEMBER SECRETARY

Director,
Directorate of the Lac Development,
Ministry of Agriculture,
(Department of Agriculture),
RANCHI.

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberation).

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.
2. Agricultural Marketing Adviser—Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
3. Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture).
4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
5. Bihar State Lac Co-operative Marketing Federation Ltd., Ranchi.
6. Joint Commissioner (Export Promotion), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
7. The Secretary, National Cooperative Development Corporation, C-56, South Ext. Part II, New Delhi or his nominee.
8. Joint Commissioner (CC), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
9. Deputy Secretary (Crops), Department of Agriculture.

2. FUNCTIONS

The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider the development programme formulated by the Central and State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress;

(ii) to play a dynamic role in organising the problems of marketing, processing, storage and transport of the commodities and in their trade and pricing and advising the Government thereon;

(iii) to play a dynamic role in examining the research and development programmes by formulation of the programmes and in advising research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

(iv) to consider the needs of the export market and adjust the programmes of development suitably thereto; and

(v) to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time.

3. The Indian Lac Development Council will have powers to set up, as necessary, Standing Committee, Technical Committee and *Ad-hoc* Committee to look into issues of special importance and to Co-opt members where necessary, (such as representatives of Agricultural Universities and other special interests.

4. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which Lac is grown and will make recommendations to the Government of Inda.

5. The term of the Council will be up to 31-12-1976. Members of Parliament will however cease to be the members of the Council as soon as they cease to be

members of Parliament. The term of the Council may be extended or curtailed by the Government of India if considered necessary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 7th November 1973

RESOLUTION

No. 60-1/73-CAI.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Spices Development Council set up vide their Resolution No. 1-22/67-C.C.I dated the 8th December, 1967. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

III. MEMBERS ..

REPRESENTATIVES OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS

(a) STATES

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Kerala
(ii) Mysore
(iii) Assam
(iv) Maharashtra
(v) West Bengal
(vi) Andhra Pradesh
((vii) Orissa
(viii) Tamil Nadu
(ix) Meghalaya.

(b) CENTRAL GOVERNMENT

(i) One representative of the Planning Commission.

(ii) One representative of the Ministry of Commerce.

(iii) Agricultural Commissioner with the Government of India.

(iv) Chairman, Spices Expert Promotion Council.

(v) Project Coordinator (Spices and Cashewnut) Central Plantation Crops Research Institute, Post Kudlu Kasargod, Kerala.

(vi) Joint Commissioner (Extension Training) or alternatively Director, Farm Information Unit as representative of the Directorate of Extension.

(c) GROWERS REPRESENTATIVES

Ten Growers Representatives to be nominated by the respective State Government, from the major Spices growing States as follows :

(i) Kera—One representative
(ii) Mysore—One representative
(iii) Maharashtra—One representative
(iv) West Bengal—One representative
(v) Tamil Nadu—One representative
(vi) Andhra Pradesh—One representative
(vii) Orissa—One representative
(viii) Bihar—One representative
(ix) Madhya Pradesh—One representative
(x) Himachal Pradesh—One representative
(xi) Meghalaya—One representative.

(d) REPRESENTATIVES OF TRADERS

Three Representatives of traders to be nominated on the Council out of the candidates recommended by the various recognised Chambers of Commerce and other Trade Bodies.

(e) REPRESENTATIVES OF INDUSTRY

Three representatives of Industry.

(f) OTHERS

Three Members of Parliament.

(g) Such additional persons as may, from time to time be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.

IV. MEMBER SECRETARY

Director, Directorate of Arecanut & Spices Development, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), Calicut.

V. OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberation.)

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.
2. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) New Delhi.
3. Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) New Delhi.
4. Economics & Statistical Adviser—Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
5. Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
6. National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
7. One representative of N.A.F.E.D.
8. Joint Commissioner (Export Promotion) Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
9. Joint Commissioner (CC), Department of Agriculture.
10. Deputy Secretary (Crops), Department of Agriculture.
11. Director (Horticulture), Department of Agriculture.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(1) To consider the development programme formulated by the Central and State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress;

(2) to play a dynamic role in examining the problems of marketing, processing, storage and transport of commodities and in their trade and pricing and advising the Government thereon;

(3) to bring suitable co-ordination between research and development programmes by formulation of the programmes and in advising research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

(4) to consider the needs of the expert market and adjust the programmes of development suitably thereto; and

(5) to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time.

3. The Indian Lac Development Council will have powers to set up, as necessary, Standing Committee, Technical Committee and *Ad-hoc* Committee to look into issues of special importance and to Co-opt members, where necessary, (such as representatives of Agricultural Universities and other special interests).

4. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which Lac are grown and will make recommendations to the Government of India.

5. The term of the Council will be upto 31-12-1976. Members of Parliament will however cease to be the members of the Council as soon as they cease to be members of Parliament. The term of the Council may be curtailed or extended by the Government of India, if considered necessary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 3rd November 1973

CORRIGENDUM

No. F.15-25/72-L.I—The Resolution No. F. 15-25/72-L.I. dated 5th May 1972 of the Department of Cul- amended *vide* Department of Culture Corrigendum of even number dated 21st February, 1973. 6th July, 1973 and 26th September, 1973 is further amended as under :—

Para 3, (i) *Serial No.* 15 :

For Shri Kanti Chaudhuri,

Joint Secretary (Languages),

Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture.

(Member Secretary)

Read Shri Shahid Ali Khan,

Joint Secretary (Languages),

Ministry of Education & Social Welfare and Department of Culture.

(Member Secretary)

(ii) *Add the following after Serial No.* 16 :

Shri Kanti Chaudhuri,

99, Lodhi Estate,

New Delhi.

ORDER

ORDERED that copies of the Corrigendum to the Resolution be communicated to all members of the Committee, Chairman, University grants Commission, All Vice-Chancellors, Director, Central Hindi Directorate, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, and all State Governments, Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHATURVEDI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 2nd November 1973

No. F. 15-8/72-L.2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (i) These Rules may be called the Central Instt. of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Instt. of Indian Languages, (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, for the entries in columns 10 and 11 relating to the post of 'Office Superintendent', the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 10 : By promotion failing which by transfer or by transfer on deputation.

Column 11 : Promotion of Upper Division Clerks with 8 years' service in the grade or transfer or transfer on deputation of Upper Division Clerks from Central or State Government Departments with at least 8 years service in the grade and 15 years service under Government.

S. S. BHATTACHARYA,
Assistant Educational Adviser.

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-110001, the 31st October 1973

RESOLUTION

No. F. 1-46/69-SW.3.—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-46/69-SW.3

dated the 7th September, 1973, extending the term of the office of the Board, namely, the Chairman, Members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company), till and including the 31st October, 1973, the Government of India have been pleased to decide that subject to the provisions of Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the office of the Board, namely, the Chairman of the Board, members of the General Body and the Executive Committee of the Board be extended for a further period of two months commencing from 1st November, 1973, till and including the 31st December, 1973.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M's Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Companies Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
14. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 27th October 1973

RESOLUTION

No. F.C. 26(1)/73.—In this Ministry's Resolution No. DW.V.516(4)/64 dated 27-7-1965 constituting a Standing Committee for settling disputes between State Governments and Railways over the incidence of cost of provision of increased waterways under the Railway Bridges, the following may be substituted for the existing para 4 :—

"4. Whenever a different of view arises between the State Government and the Railway, the Chief Engineer, Zonal Railway or the State Chief Engineer concerned will submit a memorandum on the Railway's or State's case to the Chairman, Central Water and Power Commission with a copy to the State or the Railway authorities concerned. The Chairman, Central Water and Power Commission would then fix up a meeting to consider the matter. The decision of the Committee would be arrived at on the basis of the views of the Chairman of Central Water and Power Commission and the Chief Engineer of Railways and States concerned. Whenever a majority decision is not possible, the decision of the Chairman would be considered as the decision of the Committee. The decision thus arrived at will be binding on the Railways as well as the State Governments".

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all State Governments, all the Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, Department of Parliamentary Affairs, the Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariat, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th October 1973

RESOLUTION

No. E. 11011/25/73-Admn.I.—The Government of have been pleased to appoint the following as members of the Soochana Aur Prasaran Hindi Samiti reconstituted under this Ministry's Resolution No. E. 11011/1/71-Admn.I dated the 6th December, 1971 :—

1. Dr. M. Malik Mohamed (Padma Shri) Professor & Head of the Deptt. of Hindi University of Calicut, Calicut University P.O. (Kerala).
2. Prof. Ram Bujhawan Singh, Reader in Hindi, B. N. College, Patna University, Patna-4.
3. Shri S. Sarangapani, General Secretary, Dakshina Bharatha Hindi Prashar Sabha, Madras-17.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, New Delhi, Lok Sabha Secttt and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. GHOSE, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973